जेल सुधार के लिए उचित उपाय

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

द हिन्दू

लेखक- आर.के. राघवन (पूर्व सीबीआई निदेशक)

23 अक्टूबर, 2018

भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए राजनीतिक इच्छा भी काफी महत्त्वपूर्ण है।

अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भारत में जेलों की एक शताब्दी पुरानी प्रणाली की मरम्मत की जरूरत को आवश्यक बताते हुए जेल सुधारों पर एक समिति बनाई थी। यह समिति सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति अमिताव रॉय की अध्यक्षता में बनी है, जो जेल प्रणाली में सुधारों के लिए उचित उपायों को देखेंगे।

हलाँकि, यह पहली बार नहीं है जब इस तरह के एक निकाय की स्थापना की जा रही हो, उदाहरण के रूप में न्यायमूर्ति ए.एन. मुल्ला समिति और न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर समिति, जिन्हें महिला कैदियों की समस्या के लिए 1980 के दशक में स्थापित किया गया था।

देखा जाए तो, इसके बावजूद सुधार मामूली हुए, जो ये सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं कि जेल की स्थिति मानव अधिकार मानदंडों के अनुरूप है।

दंड या सुधार?

नई समिति के संदर्भ की शर्तों में कुछ बातें शामिल करने लायक है और यह महत्त्वाकांक्षी भी प्रतीत होते हैं। किसी को भी यह नहीं भूलना चाहिए कि इसका गठन उस समय की जा रही है जब विवाद तमिलनाडु सरकार की सिफारिश से घिरा हुआ है कि वर्ष 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्या के आरोप में दोषी पाए गये सात दोषियों को रिहा कर दिया जाए। याचिकाकर्त्ताओं का कहना है कि वे इस अपराध के लिए 27 साल का दंड काट चुके हैं।

देखा जाये तो, यह बहस का सार है: किसी भी रूप में बन्दीकरण अमानवीय है, खासकर तब जब दंड बहुत लंबा हो जाता है। इसके अलावा, आपराधिक दंड का उद्देश्य अपराधी से बदला लेने के बजाय अपराधी को सुधारने के संदर्भ में होना चाहिए।

हम्मूराबी संहिता अब स्वीकार्य नहीं है। मेरे विचार में (लेखक), जेल की स्थिति में सुधार करने के लिए कोई भी उपाय हालाँकि यह सुझाव राजीव गांधी मामले में अभियुक्तों के लिए याचिका से संबंधित नहीं है, को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए।

यहां एक विभाजन है। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि इस मामले में दया के लिए अनुरोध करने वालों की संख्या बहुत अधिक है, जो इस लोकप्रिय भावनाओं के प्रतिबिंबित है कि एक गंभीर अपराध को गंभीरता से निपटाया जाना चाहिए।

तो अब सवाल यह उठता है कि हम कम कठोर और अधिक मानवीय जेलों के भीतर स्थितियों को कैसे प्रस्तुत करते हैं? ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि यदि आप जेल की स्थिति में सुधार करते रहते हैं, तो अपराध की घटनाओं पर एक प्रभावशाली प्रभाव होने की संभावना है।

यह कई आपराधिक न्याय प्रशासकों को गैर-जेल विकल्पों को नियोजित करने या बढ़ाने के लिए समुदाय सेवा जैसी अनिच्छा के लिए जिम्मेदार है।

इन सब के कारण जहाँ एक तरफ कैदियों की संख्या बढ़ रही है तो वहीं दूसरी तरफ सरकार भी बड़े कारागार बनाने में अक्षम दिख रही है और यही कारण है कि जेल अधिकारियों को अक्सर मौजूदा मामूली सुविधाओं के साथ किसी तरह का प्रबंधन करने के लिए कहा जाता है।

जेलों में बढ़ती भीड़ की समस्या

जेलों में बढ़ते भीड़ पर मौजूद आँकड़े डरावने हैं। यूरोप के कुछ हिस्सों को छोड़कर, जहाँ अपराध अभी भी कम है या स्वीकार्य स्तर पर है, भीड़ की संख्या प्रबल है।

उदाहरण के लिये यू.एस. में जहाँ अपराध एक बड़ी समस्या है तथा जो बंदूक हिंसा से ग्रसित हैं, वहाँ जेल प्रणाली बदतर हो गयी है। किसी भी समय, अनुमान लगाया जाये तो राज्य और संघीय जेलों में दो लाख से ज्यादा कैदी रहते ही हैं। यूके में, नवीनतम उपलब्ध डेटा (जुलाई 2018) के अनुसार जेल में कैदियों की संख्या लगभग 92,500 है।

भारत में, प्रिज़न स्टैटिस्टिक्स इंडिया (प्रकाशन), जिसे राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड्स ब्यूरो द्वारा प्रकाशित किया गया है, वह न्यायमूर्ति रॉय समिति को विचार प्रदान करेगा। वर्ष 2015 में, 1,401 सुविधाओं में लगभग 4.2 लाख कैदी थे, जिनमें औसत अधिभार दर 114% थी।

न्याय प्रशासन में विचारों की स्पष्ट गरीबी है, जबकि सार्वजनिक अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्त्ता अतिसंवेदनशीलता को कम करने की आवश्यकता पर सहमत हैं, इस नाजुक अभ्यास के बारे में कैसे जाना है इस पर कोई अभिसरण नहीं है। किसी भी कदम के खिलाफ बैकलाश का स्पष्ट भय भी है जो अब कानूनों द्वारा निषिद्ध है।

सफेदपोश अपराध को सँभालना

एक लोकप्रिय विचार है कि जेल की आबादी को कम करने के लिए, सिद्ध अहिंसक अपराधियों को अलग-अलग निपटाया जा सकता है। लेकिन यह निराशाजनक है कि इस अपेक्षाकृत जटिल मुद्दे पर दुनिया भर में कोई आम सहमति नहीं बन पाई है।

सफेदपोश अपराध की संख्या बहुत अधिक है। गुणों के अनुलग्नक और बैंक खातों को जमा करने की त्वरित प्रक्रियाएँ जेल अवधि के विकल्प हैं। यहाँ कानूनी बाधाएँ हैं, लेकिन इन्हें अवैध रूप से अधिग्रहित संपत्ति लेने वाले राज्य के सिस्टम में एक निश्चित निष्पक्षता सुनिश्चित करके दूर किया जा सकता है।

देखा जाये तो भारत में, प्रमुख अपराधियों के बेनामी होल्डिंग्स को कम करने में प्रगति हुई है, भले ही यह सफाई का 100% प्रभावी कदम न हो। लेकिन यह औसत अपराधियों के लिए आर्थिक अपराधों को अनावश्यक और अवांछित बनाने की दिशा में पहला कदम है।

जेल अधिकारियों पर

जेलों के संदर्भ में एक और शिकायत जेल अधिकारियों की क्रूरता और उनका बुरा व्यवहार है, जो दुनिया भर में एक समान है। जस्टिस रॉय समिति के लिए इस मुद्दे पर समाधान खोजना इस नए समिति के मुख्य कार्य में शामिल होना चाहिए।

GS World टीम...

जेल सुधार

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व न्यायाधीश जस्टिस अमिताव रॉय की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है।
- यह देश भर में जेल सुधारों के सभी पहलुओं को देखेगी और उनके लिए उपायों का सुझाव देगी।
- जस्टिस एम.बी. लोकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि समिति जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों समेत और भी कई मुद्दों को देखेगी।

प्रमुख बिंदु

- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जेल सुधार समिति में भारत सरकार के दो या तीन अधिकारी भी होंगे, जो देश भर की जेलों में बंद महिला कैदियों की समस्याओं सहित अन्य मामलों की जाँच करेंगे।
- न्यायमूर्ति एम.बी. लोकुर, एस.अब्दुल नजीर और दीपक गुप्ता की एक खंडपीठ ने रोष प्रकट किया कि सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के तहत भारी राशि एकत्र की है लेकिन उस धन का उचित उपयोग नहीं किया जा रहा है।
- उच्चतम न्यायालय ने 5 अगस्त को अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कि कई राज्यों ने अभी तक उन आगंतुक बोर्डों को नियुक्त नहीं किया है जो नियमित रूप से जेलों का निरीक्षण करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे नियमों के अनुसार चल रहे हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय देश भर के 1,382 जेलों में प्रचलित अमानवीय स्थितियों से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रहा है।
- न्यायालय ने इससे पहले देश भर की अत्यधिक भीड़-भाड़ वाली जेलों के मामले में भी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी और कहा था कि कैदियों के पास भी मानवाधिकार है और उन्हें 'जानवरों' की तरह जेल में नहीं रखा जा सकता है।
- इससे पहले भारत भर में जेलों में अप्राकृतिक मौत और जेल सुधारों पर कई दिशा-निर्देश पारित किये गए हैं।

देश में जेलों की स्थिति

- वर्तमान में देश की तकरीबन 1,412 जेलों में अपनी निर्धारित क्षमता से अधिक (114%) कैदी बंद है, जिसमें 31 दिसंबर, 2016 तक 3.81 लाख से कम की क्षमता वाली जेलों में 4.33 लाख कैदी हैं। यह जानकारी सरकार द्वारा राज्यसभा में उपलब्ध कराई गई।
- नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (National Crime Records Bureau) की 2015 की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जेलों में क्षमता के मुकाबले 114.4% अधिक कैदी बंद हैं और कुछ मामलों में तो यह तादाद छह सौ प्रतिशत तक है।
- 2015 के इन आँकड़ों के मुकाबले 2016, 2017 और 2018 में कैदियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जबकि जेलों की संख्या ज्यों की त्यों बनी हुई है।
- ऐसे में इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन जेलों में बंद कैदियों की हालत कितनी बदहाल होगी। यदि इस संबंध में राज्यों की बात करें तो ज्ञात होता है कि दादरा और नगर हवेली में 276.7% से अधिक कैदी जेलों में बंद हैं।
- छत्तीसगढ़ में यह आँकड़ा 233.9% है, जबकि राजधानी दिल्ली में 226.9% है।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भारत में जेलों की एक शताब्दी पुरानी प्रणाली की मरम्मत की आवश्यक बताते हुए जेल सुधारों की समिति बनाई। इस समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

1. यह समिति सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर की अध्यक्षता में बनी है।
2. इसमें कहा गया है कि जब दण्ड लम्बा हो जाता है तो अपराधी से बदला लेने के बजाय अपराधी को सुधारना चाहिए।
3. 'प्रिज़न स्टैटिस्टिक्स इंडिया' नामक प्रकाशन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

कूट का प्रयोग करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए।

(a) केवल 2
(b) 1 और 3
(c) 2 और 3
(d) उपर्युक्त सभी

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जेल सुधारों को मानवीय रूप देने के लिए एक समिति गठित की है। यह समिति भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार के लिए कितनी महत्त्वपूर्ण है?

नोट :
22 अक्टूबर को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(b) होगा।

GS World
Committed To Excellence